

राजस्थान-राजस्व
राजस्व (ग्राम-पट्टा) विभाग

क्रमांक प.9(29)राज-1/2011

जयपुर दिनांक 21-10-2011

- अधिसूचना -

राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 15) की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला टोक की तहसील देवली के गूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-5 में अंकित गजारी/दणियों को एतदप्रश्यात राजस्व गाँव के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान राजस्व गाँव की कुल देह में जो का होकर कारण संख्या-6 के अनुसार होगा:-


क्र.सं.	ग्राम/तहसील	गूल राजस्व ग्राम/तहसील	गूल राजस्व ग्राम/तहसील	अवधि/दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टोक/देवली	राजमहल 02661400/8249	2020.04	राजमहल/मालानी/815	308.73	2700	7111.85

तहसील राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त गूल एवं गूल राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, टोक को अधिकृत किया जाता है। जिला कलेक्टर अभिलेखन संग्रहीत समस्त कार्य परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.8.09 के अनुसार निष्पादित कर राज्य सरकार को अवगत करायेंगे।

आज्ञा से

21/10/11

जयपुर



10723
1-11-11

आज्ञा से
21/10/11

2422
2-11-11